



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 18.04.2020

### पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पारित टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (APR) तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) पर निर्धारण हेतु दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका के साथ पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- तदनुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :–
  - वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सहीकरण (truing up)।
  - वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के सहीकरण (truing up) हेतु ₹0 17.99 करोड़ की धनराशि का अधिशेष (Surplus) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल ₹0 72.91 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः–

#### तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (₹0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	287.06	423.86	324.28
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-32.04	-21.84	-90.57
कुल	255.02	402.02	235.74
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	57.64%	-7.56%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त ₹0 166.29 करोड़ एवं ₹0 313.14 करोड़ की धनराशि क्रमशः प्रारम्भिक इक्विटी के लिए लाभांश (Return on Equity) तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उत्तराखण्ड शासन को पॉवर डेवलपमेन्ट फण्ड अंशादान के रूप में इक्विटी के तौर पर मांग की गयी थी। आयोग द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गयी।

\*\*\*\*